विविध बैंक प्रकरण संख्या 47/2021(GCMS : 2021/138) पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, कार्यलय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यलय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर **बनाम 1. मैसर्स गुरूनानक मेडिकल हाल जरिये प्रो. श्री राजेन्द्र सिंह** पुत्र श्री राज सिंह निवासी मकान नं. 23, गली नं. 06, सुरजीत सिंह कॉलोनी, गुरूनानक चौक, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर **2. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री घनश्याम दास** निवासी मकान नं. 22, संत किरपाल नगर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.03.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री मंगतराम, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स गुरूनानक मेडिकल हाल जरिये प्रो. श्री राजेन्द्र सिंह एवं राजेश कुमार द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी राजेन्द्र सिंह द्वारा बंधक रखी गई रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 23 (उत्तर मुखी), गली नं 06, सुरजीत सिंह कॉलोनी, गुरूनानक चौक के पास, मुरब्बा नं. 4, किल्ला नं. 6 (क्षेत्रफल 15′ गुणा 50′) चक 3ए छोटी, सेतिया कॉलोंनी, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2021 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्यवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:31 IST
Reason: SelfAttested

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 06.09.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मैसर्स गुरुनानक मेडिकल हाल जरिये प्रो. श्री राजेन्द्र सिंह एवं राजेश कुमार के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजेन्द्र सिंह द्वारा बंधक रखी गई रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 23 (उत्तर मुखी), गली नं 06, सुरजीत सिंह कॉलोनी, गुरुनानक चौक के पास, मुरब्बा नं. 4, किल्ला नं. 6 (क्षेत्रफल 15′ गुणा 50′) चक 3ए छोटी, सेतिया कॉलोंनी, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का लिखित पत्र भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पूर्व में पेश किया हुआ है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:31 IST
Reason: SelfAttested